पत्रांक : 10/व1-48/2014 (अंश-I)-....24.........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)

अनौपचारिक रूप से परामर्शित बिहार, पटना।

❖ द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक ..13/05/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई हेतु गैर वेतन मद में रू० 5,00,00,000/-(पांच करोड़ रूपये) मात्र एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में रू० 1,00,00,000/-(एक करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल गैर वेतन मद में रू० 1,65,00,000/-(एक करोड़ पैसठ लाख) मात्र एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में रू० 33,00,000/-(तेंतीस लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई हेतु गैर वेतन मद एवं परिसम्पतियों के निर्माण मद में व्यय के लिए 6,00,00,000/-(छह करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं स्वीकृत राशि अंतर्गत प्रथम चतुर्माही में 33 % राशि की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. (i) स्वीकृत राशि 1,00,00,000/- (एक करोड़) रूपये मात्र में से तत्काल 33,00,000/-(तेंतीस लाख रूपये) मात्र का विकलन माँग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02 माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-110-अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-0006-सिमुलतला आवासीय विद्यालय, विषय शीर्ष-0006-31-05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड-21-2202021100006 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में संगत शीर्ष में 1,00,00,000/- (एक करोड़) रूपये का उपबंध प्राप्त है, जिसके अंतर्गत प्रथम चतुर्माही में रू० 33,00,000/- (तेतीस लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति की जाती है।

(ii) स्वीकृत राशि 5,00,00,000/- (पांच करोड़) रूपये मात्र में से तत्काल 1,65,00,000/-(एक करोड़ पैसठ लाख) मात्र का विकलन माँग संख्या-21 मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा लघु शीर्ष-110-अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता उप शीर्ष-0006-सिमुलतला आवासीय विद्यालय, विषय शीर्ष-0006-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड़-21-2202021100006 के अंतर्गत उपबंधित राशि से होगा। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में संगत शीर्ष में 5,00,00,000/- (पांच करोड़) उपबंधित है, जिसके अंतर्गत प्रथम चतुर्माही में रू० 1,65,00,000/-(एक करोड़ पैसठ लाख) मात्र की विमुक्ति की जाती है।

3. राशि का आवंटन CFMS के माध्यम से विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा राशि की निकासी CFMS की विहित प्रक्रिया द्वारा BTC-42 पर विपत्र तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से "Payee Name- Simultala Awasiya Vidyalaya, Authorised E mail ID- savbihar@gmail.com, Authorised Mobile No.-8709476401, A/C Type- Saving Account, Account Holder-Joint, A/c Holder Name- Principal & Account Officer, IFSC Code- SBIN0003456, Bank Name- SBI Simultala, A/c Number- 31384763271, TAN No. PTNS04622C, PAN No.-AARAS6693R, Address- Simultala Avasiya Vidyalaya, Simultala, Jamui, Bihar-811316" में राशि का अंतरण, अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।

4. विभाग को विहित प्रपत्र में ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संस्था के प्राचार्य की होगी एवम् विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर महालेखाकार कार्यालय को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. राशि का व्यय गैर वेतन मद एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में किया जाना है। इसे पेंशन मद में व्यय नहीं किया जाएगा।

6. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय आदेश सं०–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभाग संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 एवं वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों, परिपत्रों और अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

7. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 7355, दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. संचिका संख्या–10/व1–48/2014 (अंश–I) के पृष्ठ–62–63/टि० के नोट–91 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. संचिका संख्या–10/व1–48/2014 (अंश–I) के पृष्ठ–66/टि० के नोट–98 पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह/–

(अजय सतीश भेंगरा)

सरकार के उप सचिव।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :10/व1–48/2014 (अंश–I) .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/–

सरकार के उप सचिव।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 10/व1–48/2014 (अंश–I) 24 पटना, दिनांक 13/05/2026

प्रतिलिपि : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला पदाधिकारी, जमुई/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)/प्राचार्य, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13-5-26

सरकार के उप सचिव।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।